छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी, 2018 सत्र

सोमवार, दिनांक 5 फरवरी, 2018 को

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा

दिनांक 5 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:—

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. श्री संतराम नेताम, सदस्य
6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
8. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
9. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य
10. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य
11. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
12. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
13. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
15. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
16. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
17. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
18. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
19. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य
20. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य
21. श्री दीपक बैज, सदस्य
22. श्री उमेश पटेल, सदस्य
23. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
24. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य
25. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
26. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य,
27. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
28. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधा का अभाव है।
2. नगरीय निकायों के जन प्रतिनधियों को पूर्ण अधिकार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
3. ग्राम पंचायतों की समाप्ति की जा रही है स्वायत्तता का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों का उल्लेख नहीं है।
5. प्रत्येक किसान जिनके पास भू–स्वामी हक का पट्टा है उनके धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।
6. सूखाग्रस्त प्रत्येक किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में धान खरीदी में गड़बड़ी को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
8. संपत्तिकर में कमी करने का उल्लेख नहीं है।
9. नगरनार स्टील प्लांट की नीतिकरण नहीं करने का उल्लेख नहीं हैं।
10. किसानों के एक–एक दाना धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये किये जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में अवैध रेत, गिट्टी के उत्खनन को रोकने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
13. लोहण्डीगुड़ा एवं डिलमिलि की अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
15. वास्तविक राशन कार्ड धारियों को राशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
16. छात्र–छात्राओं को गणवेश वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश की मितानिनों के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के पंचायत प्रेरकों को सेवा में बहाल करने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में बिजली कटौती रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
21. हाथी प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
22. बायोडीजल उत्पादन का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में प्रदूषण रोकथाम करने के उपायों का उल्लेख नहीं हैं।
24. प्रदेश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

25. किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
26. फर्जी जाति प्रमाणपत्र धारियों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
27. किसानों को फसल बीमा राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में पी.डी.एस. खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के मजदूरों के पलायन को रोकने कोई उपाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
32. गरीबों को 35 किलो चांवल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
33. महाविद्यालय में सुविधाओं में कमी के संबंध में उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश में रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
37. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हो रहे फर्जी मुठभेड़ की रोकथाम के उपाय का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
39. झीरम घाटी की घटना की सीबीआई से जांच कराने का उल्लेख नहीं है।
40. अकाल ग्रस्त किसानों के कर्ज माफी करने का उल्लेख नहीं है।
41. किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को 200 दिन मनरेगा के तहत रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवाई उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में वन उपज के समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में शराब कोचिये के द्वारा की जा रही अवैध शराब बिक्री के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में नक्सल समस्या के निदान का उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में भवन विहीन स्कूलों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, रोकने का उल्लेख नहीं है।
52. प्रदेश में गिरती शिक्षा व्यवस्था सुधार का उल्लेख नहीं है।
53. प्रदेश के आदिवासी एवं परम्परागत वन निवासियों को अधिकार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
54. फूड प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
55. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
56. शिक्षाकर्मियों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।
57. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
58. मनरेगा मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान का उल्लेख नहीं है।
59. बिजली दरों हो रही वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
60. कुपोषण की समस्या को रोकने का उल्लेख नहीं है।
61. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार का उल्लेख नहीं है।
62. प्रदेश की स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
63. प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण भवन, सड़क तथा पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
64. प्रदेश में हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
65. प्रदेश के आदिवासियों को भूमि संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
66. प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों के अवैध कार्यों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
67. सूखा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
68. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
69. अंबिकापुर में मेडिकल कालेज प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
70. किसानों को 300 रूपये धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
71. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
72. प्रदेश के किसानों द्वारा आत्महत्या करने से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
73. पत्रकारों/ मीडिया से जुड़े लोगों को शासकीय दबाव से मुक्त रखने की योजना का उल्लेख नहीं है।
74. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के नियंत्रण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
75. शिक्षित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
76. प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से हो रहे दुर्व्यवहार पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

77. लोक सुराज अभियान से प्राप्त जन सुविधाओं हेतु मांग पत्रों के निराकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का ऐरियर्स भुगतान का उल्लेख नहीं है।

79. प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के स्थाई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश की पंचायतों हेतु मूलभूत कार्यों की राशि का उचित उपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है।

81. पंचायतों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़ने की योजना का उल्लेख नहीं है।

82. कृषि आधारित उद्योग लगाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

83. उद्यानिकी फसलों के उपार्जन की योजना का उल्लेख नहीं है।

84. मंहगाई नियंत्रण करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

85. शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।

86. किसानों के भूमि विवाद से संबंधित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

87. पोलावरम एवं कन्हर बांध से डूब में आने वाले ग्रामीणों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

88. स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

89. प्रदेश में तालाबों के संवर्धन, संरक्षण करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

90. नक्सल उन्मूलन नीति का स्पष्ट करने का उल्लेख नहीं है।

91. अधिसूचित क्षेत्र में पैसा कानून लागू करने का उल्लेख नहीं है।

92. प्रदेश में गौशालाओं में गायों की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।

93. पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत बनाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

94. प्रदेश में अफसरशाही पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

95. प्रदेश की जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

96. प्रदेश में खेलों के समुचित विकास करने का उल्लेख नहीं है।

97. गरीबों के लिये घोषित योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को सही समय पर मिल सके ऐसी योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों के पदों को भरने का का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के अस्पतालों में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को शीघ्र भरने की योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश की जर्जर सड़कों के निर्माण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के आई.टी.आई. केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय को आगामी सत्र में चालू किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के स्थापित उद्योगों से प्रभावित किसानों को रोजगार दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
9. राजधानी रायपुर के आसपास लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों की लंबित मांगों के संबंध में उल्लेख नहीं है।
12. दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लगातार बढ़ रही दरों को कम कर मंहगाई पर नियंत्रण का का उल्लेख नहीं है।
13. लघु वनोपज के घटाए गए समर्थन मूल्य को बढ़ाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
16. वानिकी फसलों एवं सब्जियों के समर्थन मूल्य की योजना का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से लगातार हो रहे प्रशासनिक दुर्व्यवहार पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में प्रशासनिक आंतकवाद के नियंत्रण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
19. पत्रकारों के साथ की जा रही प्रशासनिक प्रताड़ना के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के किसानों को धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के किसानों को लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल से किसी प्रकार की राहत का उल्लेख नहीं है।
22. मनरेगा की नियमित मजदूरी भुगतान की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
23. मनरेगा की लंबित मजदूरी भुगतान का उल्लेख नहीं है।
24. किसानों की पूर्ण उत्पादित धान के उपार्जन की योजना का उल्लेख नहीं है।
25. किसानों के जमीन विवाद से संबंधित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
26. उद्योग स्थापना हेतु किए गए एमओयू के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
27. धान का समर्थन मूल्य 2100/– रूपये प्रति क्विंटल दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता हेतु ठोस प्रावधान नहीं है।
2. स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती हेतु प्रावधान नहीं है।
3. प्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में रोजगार उपलब्धता की व्यवस्था नहीं है।
4. प्रदेश में खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिये ठोस योजना नहीं है।
5. प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व खुल चुके महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
7. राज्य को ओ.डी.एफ. युक्त करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के पूर्व के रूके भुगतान को करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में गौंण खनिज से प्राप्त राशि से हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास कम हुआ है।
11. प्रदेश के व्यापारियों के हितों के संरक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध की उचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में न्यास निधि से प्राप्त राशि से रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में खनिज संसाधन न्यास के वितरण का उचित प्रावधान करने का उल्लेख नहीं है।
15. अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में बुनकरों एवं हाथकरघा उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के पुलिस बल को अन्य शासकीय सेवकों को दी जा रही सुविधा को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश की जेलों से रिहा होने वाले बंदियों के लिये रोजगार की व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के पुलिस थानों को आपस में जोड़ने की योजना को धरातल में लाये जाने में सरकार असफल रही है।
20. प्रदेश के आदिवासियों की भूमि पर औद्योगिकीकरण से रोकने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के उद्योगों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश के किसानों के पूर्व के लंबित ऋण के भुगतान हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली देने हेतु कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिये उचित मूल्य उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में वन सरंक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के श्रमिकों के लिये श्रम/रोजगार की उपलब्धता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश के भू–स्वामियों को ऑनलाईन दस्तावेजों के संबंध में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
28. भुईया सॉफ्टवेयर की विसंगतियों को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के किसानों को बीमा योजना का उचित लाभ दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित पुलि–पुलिया की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में विद्युत दरों को नियंत्रित रखने की योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश की सड़कों की हालत काफी बदतर हो रही है। सुधार का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के महाविद्यालयों में पर्याप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में उच्च शिक्षा की अधोसंरचना निर्माण में सरकार असफल रही है।
4. प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु नये महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से वसूली जा रही फीस को रोकने में सरकार असफल रही है।
6. प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में स्कूल भवनों की कमी को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को पर्याप्त संख्या में प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों की मांग को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश की स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। नियुक्ति के संबंध में उल्लेख नहीं है।
11. अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के गंभीर पेयजल समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में 2000 से अधिक जनसंख्या के सभी ग्रामों में नलजल योजना बनाने का उल्लेख नहीं है।
13. सोंढूर–2 जलाशय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
14. महानदी जल विवाद का निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।
15. अभनपुर क्षेत्र के तामासिवनी एवं खोरपा ग्राम में महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
16. अभनपुर क्षेत्र के खोरपा एवं तोरला में नया आई.टी.आई. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
17. महानदी के कुंभ स्थल में सड़क एवं शौचालय बनाकर पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। रोकने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
18. गोबरा–नवापारा में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
19. गोबरा–नवापारा को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।
20. गोबरा–नवापारा में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने का उल्लेख नहीं है।

21. राजिम कुंभ में धार्मिक परम्पराओं को नष्ट किया जा रहा है, जिसे रोकने का उल्लेख नहीं है।
22. राजिम कुंभ के आयोजन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
23. रायपुर से धमतरी तक सिक्स लेन बनाने का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के किसानों को 24 घंटे निरंतर विद्युत आपूर्ति देने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत पंपों के खंभों पर अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में शौचालयों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में शौचालयों के निर्माण में खर्च हुई राशि का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार में नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।
30. प्रदेश में मनरेगा से पर्याप्त रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों का भुगतान करने में सरकार असफल रही है।
32. प्रदेश में खनिजों से प्राप्त आय को ग्रामों के विकास में खर्च किये जाने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में गौण खनिजों की रॉयल्टी की वसूली में सरकार असफल रही है।
34. प्रदेश में मुरूम के अवैध उत्खनन को रोकने में सरकार असफल रही है।
35. प्रदेश में रेत खदान माफियाओं के कब्जे में है, जिसे प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।
36. प्रदेश में गौण खनिजों की चोरी रोकने में सरकार असफल रही है।
37. प्रदेश में सड़कों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल रही है।
38. प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों की लागत में काफी वृद्धि हो रही है । वृद्धि को रोकने में सरकार असफल रही है।
39. प्रदेश में नदी–नालों पर पर्याप्त पुलों का निर्माण करने में सरकार असफल रही है।
40. प्रदेश में सड़कों के निर्माण में प्रदेश के श्रमिकों को कार्य नहीं मिल पा रहा है।
41. प्रदेश में सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है।
42. प्रदेश की नदियों का पानी व्यर्थ में बहकर समुद्र में जा रहा है। पानी का बांध बनाकर नहरों का निर्माण कर सिंचाई हेतु पर्याप्त योजनाएं नहीं बनायी जा रही हैं।
43. प्रदेश में ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगाने से किसानों को हुई क्षति की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन एनीकटों में किये जा रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में निर्मित एनीकटों में गुणवत्ताहीन निर्माण होने से पानी का भराव नहीं हो रहा है। उसे ठीक कराने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश के सिंचाई रकबा में वृद्धि हेतु कोई सार्थक उपाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश के किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सुअरों एवं जंगली जानवरों को पकड़ने एवं गहन वनों में स्थानांतरित करने का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश की ई–मंडियों में भी धान खरीदी का भुगतान तत्काल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में किसानों का धान कहीं भी समर्थन मूल्य में नहीं बिक रहा है। समर्थन मूल्य में ही बेचने का उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु कोई उपाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
51. प्रदेश में नकली खाद एवं कीटनाशक दवाईयों की जांच करने एवं रोक लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
52. प्रदेश के किसानों को निःशुल्क प्रमाणित बीज प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
53. प्रदेश की सभी अकाल ग्रस्त तहसीलों के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश के सभी वर्गों के किसानों को सिंचाई पंपों हेतु निःशुल्क बिजली दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
55. प्रदेश के किसानों को रबी फसल हेतु बैंक से ऋण देने का उल्लेख नहीं है।
56. प्रदेश के किसानों की फसल का एक–एक दाना धान खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
57. प्रदेश के किसानों को विगत 3 वर्षों का 300 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का बकाया बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
58. प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री संतराम नेताम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, महिला उत्पीड़न एवं अनाचार की घटनाओं में वृद्धि हो गई हो नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
2. बस्तर संभाग में सिंचाई के साधन कम हैं। किसानों को बीज कृषि कार्य हेतु नलकूप उत्खनन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. घोषणा पत्र अनुसार समर्थन मूल्य 2100 रूपये (दो हजार एक सौ रूपये) प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. घोषणा पत्र अनुसार पांच वर्ष का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. बस्तर संभाग के गांव पारा टोला में विद्युत विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
6. किसानों को कृषि कार्य हेतु 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराने का उल्लेख नहीं है।
7. बड़ेराजपुर ब्लॉक मूकालार्य में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में नये विकासखण्ड बनाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं हैं।
10. प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। आये दिन हत्या, अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश की 96 तहसीलें सूखाग्रस्त है। सूखा प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश की नदियों को जोड़ने में सरकार असफल रही है।
14. तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये) करने का उल्लेख नहीं है।
15. अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति 1500 रूपये करने में सरकार असफल रही है।
16. बस्तर संभाग से अधिकतर छात्र–आश्रम भवनविहीन हैं, निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोकने में सरकार असफल रही है।
18. बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा को रोकने में सरकार असफल रही है।
19. बस्तर संभाग के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन है, निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के मितानिनों को काम के अनुरूप मानदेय प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

21. प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण हेतु उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह् भोजन बनाने वाले रसोईयों को काम के अनुरूप मजदूरी प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
23. प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को शिक्षकों की भांति समान कार्य समान वेतन प्रदान करने में सरकार असफल रही हैं।
24. प्रदेश की स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को काम के अनुरूप मजदूरी प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
25. नरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों को समय पर मजदूरी प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
26. प्रदेश के बच्चों के कुपोषित होने पर रोकने में सरकार असफल रही है।
27. बस्तर संभाग के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति जर्जर है। मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कराने में सरकार असफल रही है।
28. बस्तर संभाग के अस्पतालों में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सकों की भर्ती करने में सरकार असफल रही है।
29. बस्तर संभाग के अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों में अहाता निर्माण करने में सरकार असफल रही है।
30. प्रदेश के नगरों को वर्ष में 200 मानव दिवस रोजगार प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
31. प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्याथियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
32. प्रदेश में पी.डी.एस. खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के कृषकों को डिजीटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से नक्शा–खसरा समय में प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
34. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
35. प्रदेश के कृषकों को कृषि बीमा का सही लाभ प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
36. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत् महिलाओं को समय पर गैस कनेक्शन प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
37. स्वच्छ भारत मिशन के तहत् निर्माण किये गये शौचालय गुणवत्ताविहीन है।

38. कच्चे मकान में रहने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् पक्का आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

39. बस्तर संभाग की अनेक हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषय शिक्षक नहीं रहने से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसके निराकरण का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश के स्कूली बच्चों को समय पर स्कूल ड्रेस प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

41. हाईस्कूल की छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत् अच्छी गुणवत्तायुक्त सायकल प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

42. स्कूली बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।

43. केशकाल विधान सभा क्षेत्र में गांव–गांव में सड़क पुलिया निर्माण करने में सरकार असफल रही है।

44. केशकाल महाविद्यालय में एम.एस.सी. कक्षा प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

45. कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

46. नवीन आबकारी नीति के तहत् अवैध मदिरा की बिक्री की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।

47. प्रदेश की कला, संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

48. प्रदेश के कुटीर, उद्योग एवं बेलमेटल, मिट्टी, बांस आदि को संरक्षण प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

49. स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

50. ग्राम पंचायतों के खनिज, रेत, मुरूम का अवैध उत्खनन रोकने में सरकार असफल रही है।

51. जिला खनिज न्यास निधि का कलेक्टरों द्वारा समिति की सहमति के बिना मनमानी ढंग से राशि का वितरण किया जा रहा है, जिसके नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

52. घोषणा पत्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने में सरकार असफल रही है।

53. प्रदेश के फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।

6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम मोहगांव से घोठा मार्ग में पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
2. ग्राम पंचायत बरहेली के ग्राम झर्रीपारा पहेलपारा में कोड़ाखुर्री के मध्य क्षतिग्रस्त पुलिया का जीर्णोद्धार कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
3. ग्राम पंचायत बरहेली से ग्राम पहेलपारा झर्रीपारा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कार्य आज तक अपूर्ण है, पूर्ण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. ग्राम पंचायत सम्बलपुर में स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
5. चारामा से कोटर राजमार्ग अत्यंत जर्जर है, जिसके मजबूतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
6. ग्राम कोदापारण से ग्राम कोपाकटेल मार्ग पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
7. वर्ष 2002 की विधवा पेंशन सर्वे सूची में नाम नहीं होने से अनेक विधवाएं पेंशन से वंचित हैं, जिसके निराकरण का उल्लेख नहीं है।
8. ग्राम पंचायत कोदापाखा के कोपाकटेल से संतराई के मध्य मार्ग में पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
9. जेपरा से कर्रामाड़ के मध्य मार्ग में पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
10. कच्चे से दल्लीराजहरा मार्ग अत्यंत जर्जर है जिसकी मजबूतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
11. हेटारकसा से भैराडीह के मध्य पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पंचायत संवर्ग शिक्षकों को वेतन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
13. मनरेगा के अंतर्गत लंबित मजदूरी राशि के भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
14. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण की राशि का पूर्ण भुगतान करने में सरकार असफल रही है।
15. भानुप्रतापपुर विधान सभा की सभी ग्राम पंचायतों को ऑन लाईन करने का उल्लेख नहीं है।
16. पंचायत संवर्ग शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
17. बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
18. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास करने का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के संचालित छात्रावास आश्रम के लिये समुचित व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश की सभी आश्रम शालाओं में सुरक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
21. प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े डॉक्टर एवं स्टॉफ के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
23. भानुप्रतापुर विधान सभा क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
24. शासकीय हाईस्कूल कोदापाखा को हायर सेकेण्डरी, माध्यमिक शाला जातावाड़ा को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
25. ग्राम पंचायत कोदापाखा के ग्राम ठोकराटोला, कवाचीकटेल एवं बांगाचार में स्टॉपडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
26. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड चारामा के वर्ष 2002 की विधवा पेंशन सर्वे सूची में अनेक लोगों का नाम नहीं होने से पेंशन से वंचित है। नाम जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
27. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के वर्ष 2002 की विधवा पेंशन सर्वे सूची में अनेक लोगों का नाम नहीं होने से पेंशन से वंचित हैं। नाम जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
28. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड दुर्गकोंदल के वर्ष 2002 की विधवा पेंशन सर्वे सूची में अनेक लोगों का नाम नहीं होने से पेंशन से वंचित हैं। नाम जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
29. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में रोजगार गारंटी का कार्य करवाया जा रहा है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
30. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड दुर्गकोंदल के अंतर्गत रोजगार गारंटी का कार्य कराया जा रहा है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
31. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड चारामा में रोजगार गारंटी का कार्य करवाया जा रहा है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

32. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण किया गया है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

33. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड दुर्गकोंदल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण किया गया है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

34. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड चारामा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण किया गया है। किंतु भुगतान दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

35. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड दुर्गकोंदल के अंतर्गत सुरूगदोह एवं कोड़े कुरसी के बीच कोटरी नदी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पुल निर्माण नहीं हुआ। पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

36. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड चारामा से पुरी रोड जर्जर स्थिति में है, निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

37. विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापुर के विकासखण्ड भानुप्रतापपुर में चौंतीस वर्षों से महाविद्यालय संचालित है। किंतु नवीन पी.एम.टी. कन्या महाविद्यालय आज तक संचालित नहीं है, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

38. मुख्य मार्ग से लोहत्तर पहुंच मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बना है, गुणवत्ताविहीन है, पुनः निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अरूण वोरा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के भवनविहीन स्कूल भवनों का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
3. नगरीय निकाय के संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि की गई है। वापस लेने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
5. दुर्ग में मेडिकल कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में विद्युत दरों में लगातार बढोत्तरी हो रही है, रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
7. किसानों को धान का प्रति क्विंटल 2100 रूपये समर्थन मूल्य प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
8. किसानों को प्रति क्विंटल धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
9. शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश की स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश में विद्युत दरों की बढ़ोत्तरी को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के युक्तियुक्त उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के आवारा मवेशियों से आम नागरिकों की हो रही सड़क दुर्घटना के बचाव संबंधी उपायों का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में मच्छरों से आम नागरिकों को हो रही बिमारियों से बचाव का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की छटनी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश से मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
11. बस्तर में फर्जी मुठभेड़ को रोकने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश की नक्सल समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में सिंचाई लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के वेतन, मानदेय तथा भत्ते में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में आगजनी को रोकने युक्तियुक्त उपायों का उल्लेख नहीं है।
18. नक्सली घटना में मारे गये आम नागरिकों के परिवार को राहत–मुआवजा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
19. बस्तर संभाग के निवासियों के लिये वृहद बीमा योजना का उल्लेख नहीं है।
20. चिकित्सक विहीन अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के गरीबी रेखा पट्टाधारियों का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को व्यवस्थित रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

23. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के बांधाबाजार से चिल्हाटी मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
24. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के गैदाटोला में कन्या हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
25. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के टिपानगढ़ बांध निर्माण का उल्लेख नहीं है।
26. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायतों में गरीबों हेतु अटल आवास योजना का उल्लेख नहीं है।
27. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के छुरिया नगर पंचायत में सड़क निर्माण से प्रभावित व्यवसायियों को व्यवस्थापन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में तेन्दूपत्ता फड़ मुंशी को मानदेय देने का उल्लेख नहीं है।
29. राजनांदगांव जिले में उद्योग स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के मितानिनों का मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
33. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के जनकपुर ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
34. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के तलवारटोला में बांध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने एवं 2100 रूपये बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
36. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के उमरवाही एवं गेन्दाटोला में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
37. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
38. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम अर्जुनी, विकासखण्ड अकलतरा से 7 कि.मी. की दूरी पर कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है। स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. बलौदा में 132 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
3. अकलतरा विधान सभा अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क जर्जर हो गई है, मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।
4. शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
5. अकलतरा विधान सभा में कोटमीसोनार में क्रोकोडाल पार्क को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
6. अकलतरा विधान सभा के बलौदा ब्लाक में पहरिया माता देवी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
7. जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन होने के उपरांत भी प्रभावित अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। विकास कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
8. महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रामीणों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
9. अकलतरा विधान सभा को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है। अकलतरा एवं बलौदा तहसील को सूखा घोषित किया गया है।
10. अकलतरा विधान सभा में ग्राम खारी, बलौदा ब्लॉक खारी की दूरी 10 कि.मी. में हाईस्कूल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
11. अकलतरा विधान सभा में कोटमीसोनार जलाशय में पानी की कमी हो रही है। मगरमच्छ के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में विज्ञान महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
3. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में पशु चिक्तिसकों की कमी है। पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
4. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के लिये खाद्य गोदाम की कमी है। गोदाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के कृषकों के लिये सिंचाई सुविधा हेतु स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
6. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के वनग्रामों में पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में पुल–पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
8. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के पुराने चिकित्सालयों के पुनर्निर्माण/मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
9. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में महिला चिकित्सकों की कमी है। पूर्ति कराने का उल्लेख नहीं है।
10. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के नगरीय निकायों के अंतर्गत विद्युत, पेयजल की कमी है। पूर्ति कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में पर्यटन स्थल की घोषणा का उल्लेख नहीं है।
12. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा की शिक्षण संस्थााओं में विषयवार शिक्षकों की कमी है। पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
13. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में नर्सिंग कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
14. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के अधिकारी/कर्मचारी के आवास गृह की कमी है। आवास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
15. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा में कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
16. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के कालेजों में गणित, विज्ञान व्याख्याताओं की कमी है। पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
17. विधान सभा क्षेत्र डौंडीलोहारा के मजदूरों के पलायन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री केशव चंद्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश के 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है किंतु किसानों को राहत तथा फसल बीमा राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. किसानों के त्रुटिपूर्ण रिकार्ड सुधारने तथा डिजीटल करने का उल्लेख नहीं है।
3. बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद किसानों को रबी फसल हेतु पानी नहीं दिया गया। कृषि कार्य के लिये बनाये गये बांध का पानी उद्योगों को दिया जा रहा है। जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विगत तीन वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
5. जिला खनिज संस्थान न्यास में प्राप्त राशि का उपयोग जनहित विकास कार्य में कराने में सरकार असफल रही है।
6. गौण खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कर पा रही हैं। जिसके सही संचालन कराने में सरकार असफल रही है।
7. महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रदेश में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। नये कार्यों की स्वीकृति नहीं होने से मजदूर पलायन कर रहे हैं जिसे रोकने में सरकार असफल रही है।
8. राशन कार्ड निरंतर काटा जा रहा है तथा सदस्यों का नाम कार्ड से विलोपित किया जा रहा है, नये राशन कार्ड नहीं बनाये जा रहे। वास्तविक गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. स्मार्ट सिटी से ग्रामीण अंचल के जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। गांव के विकास के संबंध में उल्लेख नहीं है।
10. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण करने के 2 वर्ष बाद भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने में सरकार असफल रही है।
11. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी है। जनभागीदारी शुल्क भी लिया जा रहा हैं जिसके संबंध में उल्लेख नहीं है।
12. प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में शिक्षकों की कमी है। पूर्ति कराने में सरकार असफल रही है।
13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ताविहीन सड़क एवं पुल–पुलिया निर्माण किया जा रहा है। जिसके नियंत्रण में सरकार असफल रही है।

14. नवीन आबकारी नीति के बावजूद अवैध मदिरा बिक्री पर किसी प्रकार का अंकुश नही लगा है। अवैध शराब बिक्री के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. समर्थन मूल्य पर धान बोनस 1 वर्ष का दिया गया है। बाकी 3 वर्षों का बोनस देने में सरकार असफल रही है।

12. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश में मजदूरों के पलायन को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. किसानों को समर्थन मूल्य पर 300 रूपये धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के बच्चों के कुपोषण को रोकने हेतु उचित योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
6. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के गांव में युवाओं की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने खेल मैदान निर्माण एवं खेल सामग्री प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश की शालाओं में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग को प्रत्येक माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग को समान कार्य समान वेतन देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटना में हो रही वृद्धि को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. कृषि और सहयोगी क्षेत्रों के बहुआयामी विकास की रूपरेखा धीमी है। विकास तेजी से कराने का उल्लेख नहीं है ।
2. स्वॉईल हेल्थ कार्ड योजना का सफल क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है ।
3. धान उत्पादन के अनुरूप धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है ।
4. राष्ट्रीय कृषि बाजार को क्रियान्वयन में गति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
5. बच्चों, महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों हेतु बनाई गयी नीति/योजना क्रियान्वयन में सरकार विफल रही है ।
6. कृषि क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया तेज करने का उल्लेख नहीं है ।
7. अल्प वर्षा से प्रभावित किसानों का आंकलन सही ढंग से करने का उल्लेख नहीं है ।
8. भू–अभिलेखों की प्रतिलिपियां सुगमता से प्रदान करने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।
9. कृषि सिंचाई योजना का पर्याप्त क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है ।
10. नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना में अनेक छोटी–बड़ी नदियों को छोड़ दिया गया है। जिसके संबंध में उल्लेख नहीं है ।
11. वनांचलों के निवासियों को वनोपज का सही लाभ देने का उल्लेख नहीं है ।
12. प्रदेश के अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं है ।
13. जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण का उल्लेख नहीं है ।
14. प्रत्येक जिले को संवर्ग बनाकर स्थानीय निवासियों की सेवा भर्ती सुनिश्.चित करने का उल्लेख नहीं है ।
15. मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजनांतर्गत जिला स्तरीय प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है ।
16. प्रत्येक विकासखण्ड में आदिवासी यूथ हॉस्टल निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
17. जिला खनिज संस्थान न्यास की आर्थिक बढ़ोत्तरी हेतु अवैध उत्खनन पर दण्ड का कड़ा प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
18. खनिज न्यास निधि का उपयोग संबंधित ग्रामों नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
19. गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व को संबंधित ग्रामों पर व्यय नहीं किया जा रहा है ।

20. नरेगा योजना में कार्य नहीं हो रहा । मजदूरों की लंबित राशि भुगतान करने का उल्लेख नहीं है ।

21. ग्रामीण आजीविका मिशन का सभी विकासखण्डों में एक से अधिक संख्या में संचालित किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

22. कुपोषण के सर्वे हेतु उचित कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है ।

23. महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड जारी होने का नवाचार व्यवहारिक नहीं है। सुधार करने का उल्लेख नहीं है ।

24. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना पूर्णतः असफल है।

25. पी.डी.एस. योजना वर्तमान में असफल है। हितग्राही असंतुष्ट हैं। सही संचालन करने का उल्लेख नहीं है ।

26. स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसके नियंत्रण के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

27. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गठन होने से किसान की भूमि लूटी जा रही है। जिसके नियंत्रण का उल्लेख नहीं है ।

28. स्वच्छ भारत मिशन असफल रहा है ।

29. शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत् शिक्षकों से शिक्षा कार्य सही तरीके से कराने का उल्लेख नहीं है ।

14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के कुकरमुड़ा से सिंधौरी सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत जलसंकट को दूर करने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के विकास हेतु कोई भी नई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
5. खैरागढ़ विधान सभा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
6. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के मानिकचौरी से झंडाबाबा दनिया रोड तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के मेनरोड अतरिया से भोरमपुरकला तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के रानी रश्मि देवी शासकीय महाविद्यालय में अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के शासकीय स्कूलों के मैदान सुरक्षा हेतु अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के शासकीय प्राथमिक शाला हनईबन को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत सभी शासकीय स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के पर्यटन स्थल मंढीप खोल जाने हेतु पुलिया निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के पर्यटन स्थल मंढीप खोल को पर्यटन स्थल में सम्मिलित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के ग्राम बगदूर, ग्राम पंचायत जीराटोला में स्थित जय डोंगेश्वर महादेव चोड़राधाम के सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के चंदैनी में शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के नादिया से बसावर सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के मैन्हर से सूराडबरी सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान विकासखण्ड में खोंघा से जंगलपुर सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान में शक्कर कारखाना खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत गण्डई छुईखदान में कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
22. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड बाजार अतरिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
23. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान मुख्यालय में अनुविभागीय (राजस्व) को कार्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ को जिला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. शिक्षक पंचायत संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
26. धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये करने का उल्लेख नहीं है।
27. किसानों को 300 रूपये बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
29. खैरागढ़ विधान सभा में नये उद्योग खोलने का उल्लेख नहीं है।

30. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पण्डरिया एवं भेण्ड्रा जलाशय का नहर लाइनिंग एवं विस्तार का उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश के बेरोजगारों को नये रोजगार देने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश में महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।

33. पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कुपोषण को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

35. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

36. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के बुंदेली में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

37. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छिराडीह में बाढ़ नियंत्रण दीवार बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के` भिखारियों को रखने के लिये नये पुनर्वास केन्द्र बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

39. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को सूखा राहत राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

40. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के गण्डई क्षेत्र में नवीन आई.टी.आई. खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश के किसानों को राहत राशि का वितरण समय पर किये जाने का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश के किसानों के आत्महत्या करने से रोकने हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।

45. प्रदेश के किसानों को समुचित मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड जारी कर राशन उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश में लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश मे कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

49. जरूरतमंद लोगों के कटे हुए राशन कार्ड को पुनः जोड़ने के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

50. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में लघु एवं वृहद सिंचाई परियोजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

51. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये स्टापडेम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

52. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नाले पर नये एनीकट बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

53. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छिराडीह में बाढ़ नियंत्रण दीवार बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

54. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु औषधालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश मं अवैध पशु तस्करी को रोकने के लिये कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

56. गौ–सेवा केन्द्र खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।

57. मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों की लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

58. शिक्षा कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान करने के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में अपराध, हत्या, लूट, डकैती में हो रही वृद्धि को रोकने में सरकार की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी कर नागरिकों की राशि हड़पकर लेने के विरूद्ध कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों को 300 रूपये धान का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100/–प्रति क्विंटल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में खाद्य नीति के सफल कार्यान्वियन में सरकार असफल रही है।
5. प्रदेश में वनों की हो रही अवैध कटाई को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।
8. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं हैं।
9. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में लगातार बढ़ रही आद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु उपयों का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में विद्युत दरों को कम किए जाने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में रोजगार गारंटी की बकाया मजदूरी भुगतान का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में नक्सल समस्या का समाधान किए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में उद्योग नीति के सफल क्रियान्वयन में सरकार असफल रही है।
16. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में बंद हो रहे दाल भात केन्द्रों को पुनः प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के चिकित्सालयों में दवाईयों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु योजना उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं हैं।
23. जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर नैला में जल आवर्धन योजना अंतर्गत जल आपूर्ति कराने का उल्लेख नहीं है।

24. जांजगीर–चांपा जिले के नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थायी व्यवस्था कराने में सरकार असफल रही है।

25. जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर–नैला नगर पालिका में हाट बाजार योजना के सफल क्रियान्वयन में सरकार असफल रही है।

26. भारतीय हथकरधा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा में डिग्री कोर्स आरंभ कराने में सरकार असफल रही है।

27. जांजगीर–चांपा फोरलेन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।

28. चांपा में बुनकरों हेतु आवास निर्माण कराने में सरकार असफल रही है।

29. विधानसभा क्षेत्र जांजगीर–चांपा में बर्न यूनिट की स्थापना किए जाने का उल्लेख नहीं है।

30. चांपा नगर का गंदा पानी हसदों नदी में प्रवाहित होने के कारण नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हसदो कॉरीडोर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश के बुनकरों को बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश के कोसा क्षेत्र के बुनकरों को रोजगार दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

33. चांपा एवं छुईखदान में ग्रामोंद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत सी.एफ.सी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

34. चांपा में ग्रामोंद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित हैंण्डलूम पार्क निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

35. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उदयभांठा के आश्रित ग्राम जर्जरा में गंभीर पेयजल समस्या के निराकरण करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है ।

36. मड़वा से लछनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क अत्यंत जर्जर है। सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

37. जांजगीर–चांपा जिले के औद्योगिक नगर चांपा में आई.टी.आई खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

38. चांपा नगर में कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

39. नगर पालिका जांजगीर–नैला में जल आवर्धन योजना अंतर्गत निर्मित टंकी से जल आपूर्ति प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।

40. जांजगीर – चांपा जिले के मड़वा पॉवर प्लांट की प्रस्तावित लागत से दोगुनी लागत पश्चात भी क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन करने का उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर एवं सब्जी के उचित मूल्य हेतु बाजार एवं प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

42. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बलौदा की ग्राम पंचायत कुदरी से मड़वा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

43. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत करमंदी में पंचायत भवन के सामने पुलिया निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

44. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत हरदी (हरि) हड़हामुहान की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

45. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबसपुर की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

46. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नवापारा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन कराने का उल्लेख नहीं है।

47. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्रा की संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

48. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी (नैला) में पेयजल संकट दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

49. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोड़सरा के खैरवार पारा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

50. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोड़सरा के जनजाति बाहुल्य खैरवार पारा में स्थित मधीर तालाब के गहरीकरण एवं दो नग पचरी निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

51. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांपा नगर में प्रवाहित गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

52. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत धाराशिव (रोगदा) में खाद गोदाम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

53. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम बुडेना के नये तालाब के पास स्थित बसाहट हेतु विद्युतीकरण कराने का उल्लेख नहीं है।

54. ग्राम नवापारा (अमोदा) में गंभीर पेयजल संकट को दूर करने हेतु नल–जल योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

55. जांजगीर–चांपा जिले के चांपा नगर में हसदों नदी पर नवीन पुल निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

56. चांपा नगर में हसदेव नदी पर नेशनल हाईवे क्रमांक 49 पर स्थित गेमन पुल पर केन्द्र शासन की योजना सेतु भारतम प्रोजेक्ट के तहत समुचित मरम्मत एवं प्रकाश व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।

57. जांजगीर–चांपा जिले के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पीथमपुर में विकास कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।

58. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के चांपा नगर स्थित डोंगाघाट, तपसीबाबा घाट तथा कुदरी बैराज के सौन्दर्यीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

59. जांजगीर–चांपा जिले के अन्यत्र पलायन कर रहे श्रमिकों के पलायन को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

60. जांजगीर – चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बलौदा के ग्राम लछनपुर के मुख्यमार्ग से रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से मड़वा–तेंदुभाठा होते हुए करमंदी तक प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

61. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम सेंदरी में खाद गोदाम निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

62. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुलीपोटा के हाईस्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

63. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेली के मटखनवा तालाब के पास पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

64. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हाईबन में करही झगरही से बनारी तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क सह पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

65. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसमुड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

66. चांपा नगर में महिला थाना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

67. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पीथमपुर, धाराशिव, रोगदा में व्याख्याता शिक्षक, भृत्य एवं स्टॉफ की व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।

68. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सरखों में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का नवीन भवन निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

69. जांजगीर–चांपा जिले के चांपा शहर में फिटनेस और ड्रायविंग ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

70. रायपुर के पुरैना स्थित विधायक कॉलोनी में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

71. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के चांपा शहर के कोटाडबरी मुहल्ला में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

72. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) से देवरहा–पीथमपुर तक की जर्जर सड़क के मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में शतप्रतिशत खसरा हेतु स्वाइल हेल्थ कार्ड जारी करने का उल्लेख नहीं है।
2. बस्तर क्षेत्र में अधिकतर स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुविधा के अभाव को दूर करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. नदियों के संवर्धन एव पुनर्जीवन हेतु बनायी गई योजना का बस्तर विधानसभा क्षेत्र की नदियों हेतु क्रियान्वयन में सरकार असफल रही है।
5. प्रदेश में नक्सल समस्या को समुचित निराकरण में सरकार असफल रही है।
6. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में विद्युत दरों की बढ़ोत्तरी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में शालाओं में संसाधनों तथा स्टॉफ की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं के भवन के मरम्मत एवं अन्य आवश्यकताओं की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में स्टापडेम की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में मजदूरों के पलायन को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने हेतु समुचित उपायों का उल्लेख नहीं है।
17. सूखा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में शौचालय के निर्माण में विलंब से हो रहे भुगतान एवं अनियमितता को रोकने हेतु उपयों का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में चरमरायी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में महतारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है लेकिन उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए लेबोरेट्री निर्माण का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जर्जर हो चुके डामरीकृत मार्ग की मरम्ममत का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश की नर्सो के भरोसे संचालित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत प्रदायित गैस की रिफिलिंग सस्ते दर पर किए जाने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में निर्धारित समय में धान खरीदी से वंचित किसानों का धान पुनः खरीदे जाने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हो रही कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में युवा कौशल प्रशिक्षण से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
30. बस्तर अंचल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
31. बस्तर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
32. बस्तर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को खेल से जोड़ने हेतु खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने का उल्लेख नहीं है।
33. बस्तर अंचल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव की समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश में प्रेरकों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
37. बस्तर विधानसभा क्षेत्र के फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त गांवों में फ्लोराइड रहित जल उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में भू–अभिलेखों के डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश में पी.डी.एस. खाद्यानों की हो रही कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में कार्यरत मितानिनों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
42. बस्तर अंचल मे हो रही फर्जी मुठभेड़ को रोकने का उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश में व्याप्त प्रशासकीय आतंकवाद को रोकने का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में शौचालय निर्माण में हो रही अनियमितता को रोकने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में नकली खाद बीज पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में नक्सली घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
51. प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
52. प्रदेश के वनों में हो रही अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं हैं।
53. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश में वनों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
55. प्रदेश के मॉडल स्कूलों में निजी हाथों द्वारा बाजारीकरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
56. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
57. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
58. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को वन अधिकार पट्टा दिये जाने में हो रहे भेदभाव को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
59. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं हैं।
60. प्रदेश में विद्युत की दरों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
61. प्रदेश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के कुपोषण की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
62. बढ़ती मंहगाई पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है
63. प्रदेश के किसानों को घोषणानुरूप धान का समर्थन मूल्य 2100/- रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
64. प्रदेश में नक्सल क्षेत्रों में आये दिन हो रही मुठभेड़ों में सुरक्षा जवान शहीद हो रहे है । इन्टेलिजेंस फेलयोर की समस्या के निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति का उल्लेख नहीं है।
66. प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की हो रही छटनी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
67. प्रदेश के महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
68. प्रदेश में शासकीय मंदिरों, देवस्थलों की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।
69. प्रदेश के महाविद्यालयों में सभी संकायों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
70. प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख नहीं है
71. बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बकावंड एवं बस्तर चौकी के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
72. बस्तर में शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।
73. बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग मशीन लगाने का उल्लेख नहीं है।
74. धान खरीदी केन्द्रों में किसानों से अधिक धान की तौलाई करने से रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
75. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
76. प्रदेश में मुरम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
77. वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में समुचित विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं।
78. प्रदेश में नक्सली समस्या के निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
79. प्रदेश में निर्मित एनीकटों में खराब गुणवत्ता के कारण पानी के भराव में हो रही कमी को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
80. स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय की प्रोत्साहन राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं हैं
81. प्रदेश में किसानों द्वारा किये गये आत्महत्या के मुआवजा का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
82. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर एवं सब्जी के उचित मूल्य हेतु बाजार एवं प्रोसेसिंग युनिट प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं हैं।
83. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघु खनिजों के लीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं हैं।
84. नकली दवाईयों के निर्माता एवं सप्लायर पर कोई आर्थिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।

85. प्रदेश के वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
86. प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध हो इस हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
87. स्थानीय उद्योगों में प्रदेश के 90 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
88. प्रदेश में खनिज की चोरी रोकने हेतु खनिज के छोटे पट्टे जारी करने का उल्लेख नहीं है।
89. प्रदेश में उत्पादित फसल के समुचित भंडारण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
90. प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की हो रही वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
91. मनरेगा की बकाया मजदूरी राशि का भुगतान कराये जाने का उल्लेख नहीं हैं ।
92. प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटना में हो रही वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
93. प्रदेश में गरीबों के काटे गये राशन कार्ड को पुनः जारी करने का उल्लेख नहीं है।
94. प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
95. प्रदेश के कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
96. प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
97. प्रदेश में अमृत दूध योजना के सफल संचालन करने में सरकार असफल रही है।
98. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का समग्र विकास करने का उल्लेख नहीं हैं।
99. प्रदेश के किसानों को उन्नत बीज एवं समय पर पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
100. प्रदेश में भू–जल स्तर में हो रही गिरावट को दूर करने के संबंध में कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
101. प्रदेश में व्याप्त अफसरशाही को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं हैं।
102. प्रदेश के उद्योगों में लगे मजदूरों के हितों का संरक्षण करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
103. प्रदेश के किसानों को हो रही अमानक बीज वितरण की रोकथाम हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
104. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों से हो रही जानमाल की भारी क्षति के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
105. प्रदेश में मुख्यमंत्री एल.ई.डी. बल्ब योजना के तहत गुणवत्ताहीन बल्बों के वितरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री मोहन मरकाम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को समान कार्य समान वेतन दिए जाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
2. मुख्यमंत्री सुरक्षा हेतु क्रय किए गए पजेरों वाहन से करोड़ों की राशि के हुए राजकोषीय घाटे का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के कुछ विधायकों को लाभ के पद स्वरूप संसदीय सचिवों के दिए गए पद अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं से हो रहे राजकोषीय घाटे का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश की ग्राम पंचायतों मं बिना ग्राम सभा के आयोजन कराए मूलभूत की राशि संचार क्रांति योजना में व्यय किए जाने का उल्लेख नहीं है।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (रायपुर–जगदलपुर मार्ग) पर बायपास निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में कार्यरत मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व रसोईयों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
7. कोण्डागांव जिला के अंतर्गत विधायक आदर्श ग्राम मसोरा के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के मजदूरों द्वारा किए जा रहे पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में हो रही शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान दिए जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
11. जगदलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
12. राज्य सरकार मनरेगा के तहत केवल 35 दिनों का औसत रोजगार दिला रही है। 100 दिन रोजगार दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के खनिज संस्थान न्यास निधि में हो रहे भ्रष्टाचार के गोरखधंधे को नियंत्रण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में कौशल विकास संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विज्ञान गणित विषयों पर रूचि लेकर अध्यापन करायी जाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

16. प्रदेश में धान बोनस वितरण कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा की गई करोड़ों रूपयों की बर्बादी का उल्लेख नहीं है।

17. बस्तर संभाग के कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु बारहमासी फसल उपयोग संबंधी प्रशिक्षण का उल्लेख नहीं है।

18. बस्तर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की योजना का क्रियान्वयन किए जाने एवं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

19. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के कृषकों को मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के 22 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश के सभी जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में तेंदूपत्ता बोनस तिहार कार्यक्रम के आयोजन में हुए करोड़ों रूपये के बंदरबाट का का उल्लेख नहीं है।

23. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ आदिवासी बाहुल्य इलाकों में दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

24. बस्तर संभाग के जिलों में सिंचाई क्षमता के विकास का उल्लेख नहीं है।

25. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न योजना के तहत 5 रूपये में भरपेट भोजन का लाभ प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

26. मुख्यमंत्री ई–रिक्शा सहायता योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने का उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के भवनविहीन छात्रावास/आश्रम व शाला भवनों के लिए भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में लगातार बढ़ रही नक्सली समस्याओं से निजात पाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ईलाकों में मूलभूत सुविधा सड़क, पुल, पुलिया बिजली, लो–वोल्टेज की समस्या से निजात पाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

30. गौण खनिज के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश के चिकित्सालयों में 90 प्रतिशत रिक्त तकनीकी अमले में भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती कराने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में पी.डी.एस खाद्यानों की हो रही कालाबाजारी रोकने का उल्लेख नहीं है।
34. वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाकर आदिवासियों को आर्थिक सुधार व संरक्षण प्रदान करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के सुखाग्रस्त 96 तहसीलों में रोजगार मूलक व अन्य कार्यो से लाभ दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
36. बी.पी.एल परिवारों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को दिलाए जाने का उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के ग्रामीण बैंकों से कृषकों/अमानतदारों को व्यवसायिक बैंकों की तरह सुविधाएं दिए का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मानव अधिकार की रक्षा करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले 25 प्रतिशत वेट की दर को कम करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों को जीसएटी के दायरे में लाये जाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में पर्यटन मंडल द्वारा करोड़ो रूपये की लागत से निर्मित मोटल खंडहर हो रहे है इसके संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
42. कोण्डागांव जिले में कृषि अधिकारियों द्वारा लघु और सीमान्त कृषकों को उद्वहन सिंचाई हेतु दिए जाने वाले अनुदान की राशि का गबन एवं अनियमितता की जा रही है।
43. प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
44. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।
45. धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में रबी के मौसम में धान की फसल पर लगाई गई रोक को हटाने का उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के संग्रहण केन्द्रों /केम्पस में संग्रहित धान की मिलिंग के लिए धान के परिवहन में हो रहे गोरखधंधे के खेल को रोकने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश में भू–राजस्व संहिता के नियमों में संशोधन कर आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश के एक मात्र सर्वसुविधायुक्त अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में प्रशासन की लापरवाही से मासूमों की जान जाने का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में 22 लाख बेरोजगारों के पंजीयन के बाद भी राज्य के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर न दिया जाकर आउट सोर्सिंग पद्धति से रिक्त पदों में भर्ती किए जाने की योजना को रोकने का उल्लेख नहीं है।

50. पोलावरम बांध की ऊंचाई कम कर प्रवासितों को लाभ दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

51. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यमुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न कर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का उल्लेख नहीं है।

53. बस्तर संभाग में वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहियों को राशि का भुगतान समय पर किए जाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

54. आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के खेलने हेतु खेल मैदान/स्टेडियम निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

55. वन भूमि पर काबिज हजारों निवासरत परिवारों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश में धान के भंडारण हेतु समुचित उपायों का उल्लेख नहीं है।

57. कोण्डागांव जिले के माकडी विकासखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

58. प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि वापस दिलाए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं।

59. नगरनार लोहण्डीगुडा में भू–विस्थापितों के परिवार के सदस्य को रोजगार दिलाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

60. कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छूटी सड़कों के निर्माण कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

61. स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय (ओडीएफ ग्राम) की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश में आर्थिक बोझ के कारण कृषकों द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरणों में मुआवजा भुगतान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश में आर्थिक अपराधों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि की रोकथाम के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश के कृषकों को वर्ष 2014, 2015, 2016 के दिए जाने वाले धान के बोनस हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में हो रहे कोटवारी भूमि के क्रय विक्रय पर रोकथाम के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश के बस्तर संभाग में बिजली तिहार कार्यक्रम के आयोजन के लिए 1,10, 73,060/- राशि का दुरूपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश के शिक्षाकिर्मियों के सविलियन हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

18. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को समान कार्य समान वेतन दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. धान खरीदी केन्द्रों में किसानों से अधिक धान की हो रही तौलाई को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
5. स्वास्थ्य विभाग में स्टॉफ की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
6. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में कुपोषण रोकने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों को सुविधा दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
10. वर्ष 2017–18 के बजट में प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के किसानों को बिजली सिंचाई एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के स्थानों के संरक्षण एवं विकास का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में धान के भंडारण हेतु समुचित उपायों का उल्लेख नहीं है।
14. बलौदाबाजार विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छुटी सड़कों के निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
15. स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के किसानों को वर्ष 2014, 2015, 2016 के बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में सूखा राहत के कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

19. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क की मरम्मत की योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क की मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
3. रामपुर एवं कुदमुरा में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
4. अस्पतालों में रिक्त पदों में भर्ती हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में कार्यरत मितानिनों को सायकल देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के गांवों में खेल मैदान निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में सिंचाई जलाशयों एवं नहरों के निर्माण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं ताजा भोजन सही ढ़ग से वितरित करने हेतु शासन की योजना का उल्लेख नहीं है।
9. रसाईयों को मानदेय देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
10. जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
11. रतनजोत से डीजल बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
12. आश्रम छात्रावासों को सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।
13. श्यांग एवं कुदमुरा में सब स्टेशन निर्माण हेतु योजना का उल्लेख नहीं हैं।
14. जंगली हाथियों से स्थायी सुरक्षा के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।
15. अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
16. लेमरू, अजगरछदाह में पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
17. असरापाली, बड़गांव में पुलिया निर्माण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
18. मनरेगा के तहत किसानों को कुंआ निर्माण कराया जाकर, स्थायी पंप प्रदाय की योजना का उल्लेख नहीं है।
19. गांवों में सरल एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
20. बढ़ती महंगाई में नियंत्रण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं हैं।
23. प्रदेशवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार प्रदान करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं हैं।

25. अजगरबडा को उपतहसील बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।

20. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. सामरी एवं चांदों में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. सामरी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
3. सामरी विधानसभा क्षेत्र में अनेक पारा टोला में शुद्ध पेयजल तथा अनेक स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र में शुद्ध पेयजल का स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
4. सामरी विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
5. बलरामपुर जिला में झारखंड सीमा पर रामानुजगंज में जिला न्यायालय प्रारंभ किया गया है जबकि भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त राजपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट और कुसमी अनुभाग में सिविल कोर्ट प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
6. सामरी विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में विषयवार अध्यापकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
7. सामरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के सिंचाई सुविधा हेतु बांध स्टापडेम की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
8. सामरी विधानसभा में सिंचाई रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
9. सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बांध एवं स्टापडेमों के रखरखाव व मरम्ममत का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाईयों की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. सामरी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के आंगनबांडी केन्द्रों में 20 वर्षो से कार्यरत शिक्षित, प्रशिक्षित तथा विभागीय नियमों की जानकार कार्यकताओं को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत कर प्रोत्साहित करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
14. सामरी विधानसभा में भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
15. शिक्षाकर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

16. सामरी विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. सामरी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के किसानों के राशन कार्डों में की गई कटौती को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
19. मनरेगा की मजदूरी का भुगतान समय पर किए जाने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
22. वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
23. धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
24. सामरी विधानसभा क्षेत्र में सरल एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
25. बढ़ती मंहगाई पर नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
26. सामरी विधानसभा क्षेत्र में कुपोषण की रोकथाम हेतु कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
28. सामरी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
29. किसानों द्वारा उत्पादित समुचित धान की खरीदी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में पी.डी.एस. के खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं हैं।
32. प्रदेश में व्याप्त अफसरशाही को नियंत्रित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

21. श्री दीपक बैज, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बस्तर में खनिज संसाधनों का दुरूपयोग रोकने में सरकार असफल रही है।
2. बस्तर जिले के पिछड़े क्षेत्रों में पुल–पुलिया सड़क व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
3. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने में सरकार असफल रही है।
4. बस्तर जिले में लो–वोल्टेज की समस्या दूर करने में सरकार असफल रही है।
5. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधूरे एवं बंद पड़े सड़कों के कार्यों को पूर्ण कराने में सरकार असफल रही है।
6. प्रदेश के छात्रावास/आश्रम शालाओं में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
7. प्रदेश के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने में सरकार असफल रही है।
8. धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये एवं बोनस देने में सरकार असफल रही है।
9. बस्तर के टाटा स्टील प्लान्ट के प्रभावितों को जमीन वापस करने में सरकार असफल रही है।
10. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर नहीं है।
11. बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं आयरन युक्त पानी की समस्या दूर करने में सरकार असफल रही है।
12. नक्सली उन्मूलन की नीति में सरकार असफल रही है।
13. बस्तर में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
14. बस्तर जिले में पर्यटन सुविधा बढ़ाने में सरकार असफल रही है।
15. नगरनार स्टील प्लान्ट का निजीकरण रोकने में सरकार असफल रही है।
16. बस्तर जिले के शासकीय शालाओं में अहाता, भवन एवं पेयजल जैसी अन्य सुविधा देने में सरकार असफल रही है।
17. प्रदेश के ग्रामीणों के अन्य राज्यों में पलायन रोकने की नीति में सरकार असफल रही है।
18. प्रदेश के आदिवासी समुदाय के हितों का संरक्षण करने में सरकार असफल रही है।
19. बस्तर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन, बिजली, पानी एवं आयरन युक्त पानी की समस्या को दूर करने में सरकार असफल रही है।

20. प्रदेश के गरीब परिवारों के राशन में कटौती करना व सभी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
21. बस्तर जिले में खेल अधोसंरचना का विकास करने में सरकार असफल रही है।
22. बस्तर जिले के पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।
23. बस्तर जिले में बंदोबस्त एवं भूमि त्रुटि सुधार करने में सरकार असफल रही है।
24. प्रदेश में कुपोषण रोकने में सरकार असफल रही है।
25. प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी करने में सरकार असफल रही है।
26. बस्तर जिले में बैंक की सुविधायें बढ़ाने में सरकार असफल रही है।
27. प्रदेश के कुशल श्रमिक, राजमिस्त्री, कुम्हारों को संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
28. प्रदेश के किसानों को बिजली, सिंचाई एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
29. प्रदेश के पुरातात्विक स्थानों का विकास एवं संरक्षण करने में सरकार असफल रही है।
30. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई रोकने में सरकार असफल रही है।

22. श्री उमेश पटेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति वर्ष बोनस का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के किसानों को फसल बीमा मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के किसानों को सूखा राहत राशि भुगतान का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश की केलो सिंचाई योजनान्तर्गत कितनी सिंचाई हुई, उसका उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की केलो परियोजना की पूर्णता का उल्लेख नहीं है।
7. डीएमएफ के स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है।
8. मनरेगा के श्रमिकों को लंबित मजदूरी का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के बच्चों के कुपोषण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में ओडीएफ के अन्तर्गत बने शौचालयों के लंबित भुगतान को करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।

23. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो दिया गया है, किन्तु गरीबों को रिफलिंग कौन करायेगा इसका उल्लेख नहीं है।
2. प्रदूषण रोकने के प्रयास का उल्लेख है किन्तु उसना राईस मिल की अनुमति देने एवं धमतरी क्षेत्र में कोयला बनाने की अनुमति देकर प्रदूषण किया जा रहा है उसको रोकने का उल्लेख नहीं है।
3. शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजना तो बनाई गई है, किन्तु ग्रामों के विकास के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के जरूरतमंदों के काटे गए राशन कार्डों को दिये जाने एवं नए राशन कार्ड दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. खनिज न्यास निधि से कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। विधायकों की अनुशंसा पर कार्य कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाने का उल्लेख है, किन्तु गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति क्षेत्र में 4 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है।
8. प्रदेश में कई नहर बनी हैं किन्तु उससे सिंचाई का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।
9. अंसगठित व संगठित कर्मकारों से ली गई स्वावलंबन पेंशन राशि का हिसाब–किताब रखवाने में सरकार असफल रही है।
10. वायु प्रदूषण रोकने सरकार असफल रही है।
11. प्रदेश के किसानों के धान को समर्थन मूल्य में खरीदे जाने घोषणा के बाद भी समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदा जा रहा है।

24. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. सूखा प्रभावित गौरेला, पेण्ड्रा तहसील क्षेत्र के किसानों को मुआवजा राशि तथा फसल बीमा राशि देने का उल्लेख नहीं है।
2. नगर पंचायत गौरेला को नगर पालिका बनाने का उल्लेख नहीं है।
3. तेंदूपारा पेण्ड्रा से गिरवर पहुंच मार्ग तथा तेंदूपारा पेण्ड्रा से सतोकपुर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. पेण्ड्रा अमरपुर मुख्य मार्ग से जनपद पंचायत कार्यालय पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. पेण्ड्रा से गिरवर पहुंच मार्ग में तिपान नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. बंटीबहेरा पेण्ड्रा से कोटखर्रा पहुंच मार्ग पर तिपान नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. पेण्ड्रा नगर पंचायत के बंटीबहेरा के दियागडार को पर्यटन केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं है।
8. मरवाही वन मंडल के खोण्डरी वन परिक्षेत्र अन्तर्गत लक्ष्मण धारा को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।
9. बेलगहना से कोटा तक सड़क चौड़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
10. कोटा विधान सभा क्षेत्र में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
11. कोटा, रतनपुर, पेण्ड्रा एवं गौरेला में तलाबों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. कोटा, रतनपुर, पेण्ड्रा एवं गौरेला में नये उद्यानों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
13. नगर पंचायत पेण्ड्रा में शासन द्वारा स्वीकृत जेसीबी मशीन क्रय करने के आदेश जारी करने का उल्लेख नहीं है।
14. नगर पंचायत पेण्ड्रा में जल आवर्धन योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मकानों में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी की राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
16. सारबहरा से सधवानी तक सड़क नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
17. नगर पंचायत पेण्ड्रा के अन्तर्गत बांधारानी तालाब के सफाई एवं सौन्दर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

18. लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत गौरेला से अमरकंटक तक सड़क निर्माण (नवीनीकरण) कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
19. आमाडोह में बनाये गये रिसॉर्ट को खंडहर होने से बचाने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
20. लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत गौरेला से जलेश्वर सड़क नवीनीकरण कराने का उल्लेख नहीं है।
21. सूखा प्रभावित पेण्ड्रा गौरेला तहसील क्षेत्र में पेयजल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
22. बिजली मीटर की रीडिंग सही समय पर लिये जाने का उल्लेख नहीं है।
23. कोटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय एवं अन्य पदों पर नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
24. शिक्षकविहीन प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
25. गौरेला विकासखंड के सेनेटोरियम परिसर में नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
26. कोटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी सड़कें जिनकी गारंटी पीरियड समाप्त हो गया है, उन सड़कों की नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
27. राजस्व विभाग अन्तर्गत गौरेला विकासखंड के ग्राम गांधीपुर की भूमि में काबिज किसानों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है।
28. सेमरा (पेण्ड्रा रोड) से खोण्ड्री तक सड़क चौड़ी करने का उल्लेख नहीं है।
29. एकलबत्तीधारक गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. पेण्ड्रा बाईपास सड़क निर्माण हेतु निविदा प्रकाशन किये जाने एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरण का उल्लेख नहीं है।

25. श्री अमरजीत भगत, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. नक्सल समस्या को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. कृषकों को धान का बोनस दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. जंगली जानवरों के उत्पात को रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. स्वच्छता योजना के अभियान को संचालित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. शिक्षा की गुणत्ता सुधार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. पर्यावरण संरक्षण के बचाव एवं रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
13. वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. दैनिक उपयोग के खाद्य पादार्थों की वृद्धि को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. घाटेपाली एवं कन्हर बांध डेम से प्रभावित परिवारों को एडवांस मुआवजा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. आश्रम छात्रावास की सुरक्षा के लिये सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
3. रतनजोत से डीज़ल निकालने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. जंगली जानवरों से रोकथाम के लिए स्थाई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. रसोईयों को मानदेय देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट योजना में ताजा भोजन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. अधूरे पड़े सिंचाई जलाशय नहरों को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. गांवों के खेल मैदान के समतलीकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. मितानीनों को सायकिल दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. भवन विहीन प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में भवन निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. नदी से हो रहे कटाव को रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. नवीन विद्युत सब स्टेशन गणेशयार्ड में नहीं है।
13. नवीन महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।
14. कौशल विभाग में प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार एवं शासकीय योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. किसानों को सस्ती बिजली मिले ऐसी कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
16. बीपीएल किसानों के बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. शासकीय नौकरी बैकलॉग से भरे जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. मितानिनों को एएनएम के पद पर सीधे भर्ती किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
19. शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. अभ्यारण्य क्षेत्रों में वनोंपज का संग्रहण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. शौचालय निर्माण के लंबित भुगतानों के भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
22. मनरेगा के मजदूरों की दो वर्ष से लंबित मजदूरी के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

23. वृद्धा विकलांग पेंशन में बीपीएल के लोग जिनका नाम नहीं है उनको लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. औरेंगा–धरमी मार्ग पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
25. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
26. शिक्षकविहीन स्कूलों के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।
27. स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।
28. मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों की मरम्मत की योजना का उल्लेख नहीं है।
29. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योगना की सड़कों की मरम्मत की योजना नहीं है।
30. अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
31. किसानों को 2100 रूपये धान का समर्थन मूल्य दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों द्वारा उत्पादित धान खरीदने में सरकार असफल रही है।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. जल संसाधन विभाग अंतर्गत मरवाही के धोड़देवा नहर को बनाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
5. राज्य के ठेकों एवं निजी उद्योगों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. टमाटर एवं अन्य बागवानी वाली फसलों को खरीदने की नीति का उल्लेख नहीं है।
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के नर्सिंग कालेज, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा तय मापदण्ड को पूरा नहीं कर रहे एवं स्तर सुधारने का उल्लेख नहीं है।
9. नसबंदी काण्ड या आंखफोड़वा काण्ड की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं हैं।
10. सरकारी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
11. मजदूरी भुगतान के मामले में मनरेगा मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को दिए जाने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
12. राज्य के गुर्दा (किडनी) के मरीज के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क डायलीसिस कराने एवं सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
13. डब्ल्यू.एच.ओ. के तय मापदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर राशि खर्च करने का उल्लेख नहीं है।
14. यूनीसेफ द्वारा तय मापदण्ड के अनुसार स्कूली शिक्षा में राशि खर्च करने का उल्लेख नहीं है।
15. कोयला ब्लाक की नीलामी की मिलने वाली राशि का राज्य सरकार किन–किन योजनाओं में खर्च करेगी का उल्लेख नहीं है।
16. मरवाही क्षेत्र के भवन विहीन हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

17. मरवाही क्षेत्र के भवन विहीन आंगन बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

18. मरवाही विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन कन्या छात्रावासों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

19. आम जनता की मेहनत की राशि को ठग बिल्डर्स द्वारा हड़पने पर उस राशि को उनसे वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के लाखों लोग ठगी का शिकार होने के बाद भी चिटफंड कम्पनी पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

21. घाघरा,अपरखुज्जी, दमदम, गगनई जलाशय के सिल्ट साफ करने का उल्लेख नहीं है।

22. गौरेला विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पूटा के आश्रित ग्राम डाड़जमड़ी को पूटा से जोड़ने सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।

23. पूर्व में छ.ग. के पेण्ड्रा जमींदारी के अंतर्गत आने वाले धार्मिक नगरी अमरकण्टक को छ.ग. राज्य में शामिल किए जाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं का उल्लेख नहीं हैं।

24. अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत पेण्ड्रारोड से व्हाया अचानकमार होकर बिलासपुर तक वाहनों के आवागमन से प्रतिबंध हटाये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. छ.ग. राज्य में कृषि भूमि एवं डायवर्टेड भूमि के बाजार मूल्य में बहुत असमानत है। डायवर्सन नियम समाप्त कर इस असमानता को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

26. बस्तर संभाग की माहरा जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ देने का उल्लेख नहीं है।

27. बकरी की बड़ी संख्या में बीमारी से मृत्यु हो रही है । बकरियों की मृत्यु रोकने एवं पीड़ित कृषकों को मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।

28. प्रधानमंत्री आवास योजनांर्गत शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण से डायवर्सन की बाध्यता समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

29. विभिन्न विभागों में संविदा पद पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदो ंके संविदा कर्मियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

30. मरवाही के ग्राम धनपुर में राक गार्डन बनाने का उल्लेख नहीं है।

31. छ.ग. की अस्मिता से जुड़े ज्वालेश्वर महादेव मंदिर का म.प्र. से विवाद खत्म कराने की सार्थक पहल का उल्लेख नहीं है।

32. गौरेला से म.प्र. को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क गौरेला–करंगरा मार्ग में वन विभाग की आपत्ति तत्काल निराकरण कराने का उल्लेख नहीं है।

33. बिलासपुर से रामपुर सड़क निर्माण को जल्द पूर्ण कराने का उल्लेख नहीं है।

34. मेक इन छत्तीसगढ़ मात्र एक नारा है। विन्निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने करने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निजात के लिए ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
36. किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
37. प्रदेश में मानव तस्करी को रोकने का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश की गायब हजारों लड़कियों को खोजने का उल्लेख नहीं है।
39. अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों तथा आश्रमों में सुचारू रूप से मैस संचालन का उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश के प्रमुख शहर बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर से विमान सेवा प्रारम्भ करने का उल्लेख नहीं है।
41. विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
42. नयी एवं पुरानी उद्योग नीतियों से उद्योगपतियों को हुए नुकसान की भरपाई का उल्लेख नहीं है।
43. किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
44. पांच हॉर्स पावर तक के किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
45. 45 लाख मोबाईल फोन कब और कैसे तथा किस मद से बांटे जाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है।
46. सूचना प्रोद्योगिकी का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा इसका उल्लेख नहीं है।
47. किसानों की फसलों के दामों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
48. किसानों को शासकीय अनुदान दिए जाने वाली योजना में समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
49. धान विक्रेता किसानों को पूरे 5 वर्ष का बोनस राशि देने का उल्लेख नहीं है।
50. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए एकलबत्ती कनेक्शन मुफ्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
51. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य गांवों के सर्वांगीण विकास का उल्लेख नहीं है।
52. बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
53. वनग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए जाने उल्लेख नहीं है।
55. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को नोटरी के पद पर आरक्षण देने उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश में लगभग 20 लाख युवा बेरोजगार हैं जिन्हें रोजगार दिलाने के लिए कोई उल्लेख नहीं है ।

57. कुम्हारों को राजस्व अधिकारी परेशान करके भपा दोहन करते हैं । कुम्हारों को संरक्षण देने उल्लेख नहीं है।

58. राज्य के कुम्हारों को ईंट,खपरा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने उल्लेख नहीं है।

59. राज्य में टपक सिंचाई योजना को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

60. किसानों को मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद, उपलब्ध कराने उल्लेख नहीं है।

61. रजिस्टर्ड गौ सेवकों को मानदेय प्रदाय करने उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश में कोटवारों का नियमितिकरण किये जाने एवं मानदेय बढ़ाने उल्लेख नहीं है।

63. छ.ग. सड़क विकास निगम बुनियादी ढांचे एवं समुचित मानव संसाधन के अभाव में अपना काम करने में असफल है ।

64. शैक्षाणिक व्यवस्था के सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।

65. मरवाही विधान सभा क्षेत्र के वनांचल गांव बस्ती बगरा में मोबाईल टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।

66. आगामी राष्ट्रीय बेल के आयोजन के लिए न तो वित्तीय प्रावधान एवं खेलों के सम्पादन हेतु उचित प्रक्रिया को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

67. हाथियों एवं भालुओं के हमले से वनवासियों को बचाने के लिए ठोस कार्ययोजना का क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।

68. राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताओं को पेण्ड्रा–गौरेला, मरवाही में भी आयोजित करने का उल्लेख नहीं है।

69. जशपुर जिले के हॉकी खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय खेल परिसर निर्माण का उल्लेख नहीं है।

70. मरवाही विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र अंजनी में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

71. सीमेन्ट एवं स्टील उद्योगों के पास अपनी खदाने है, उसके बाद वे मंहगी दामों पर स्थानीय निवासियों को सामान बेच रहें हैं । उन्हें रोकने में सरकार असफल रही है ।

72. कौशल विकास योजना चलाए जाने के बावजूद दूसरे राज्य के लोगों को प्रदेश में काम दिया जा रहा है । कौशल विकास योजना प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

73. भण्डार एवं क्रय नियम का कड़ाई से पालन कराने का उल्लेख नहीं है।

74. चुनावों में धनबल, बाहुबल एवं शासकीय मशीनरी के दुरूपयोग को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

75. प्रदेश को विकास की नई दिशा देने में सरकार असफल रही है ।

76. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को शासकीय खर्च पर प्रतिष्ठित संस्थानों में आई.ए.एस., आई.पी.एस. की कोचिंग के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

77. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को शासकीय सेवाओं के बैकलाग पदों पर नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

78. वन अधिकार कानून के तहत वन भूमि पर काबिज गैर आदिवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

79. वन अधिकार पत्र से वंचित आदिवासियों को वन अधिकार पत्र देने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

80. अनुसूचित जनजाति परिवार को जर्सी गाय एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।

81. शिक्षाकर्मियों की मांग कब पूरी की जाएगी इसकी समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

82. शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को चतुर्थ व तृतीय वर्ग के पद पर अन्य विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति देने का उल्लेख नहीं है।

83. प्रदेश के बागवानी उत्पादक किसानों की फसल को उचित मूल्य(समर्थन मूल्य) पर खरीदने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।

84. जी.एस.टी. लागू होने के बाद टैक्स राशि वसूली में आयी कमी की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से मदद मांगे जाने का उल्लेख नहीं है।

85. मरवाही के तेन्दूमूड़ा से कछार–समुदलई–उबाड़ तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

86. मरवाही क्षेत्र के सिलपहरी से बरगवां तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

87. मरवाही के बरौर के कन्या आश्रम के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

88. मरवाही क्षेत्र के भवन विहीन कन्या आश्रम कटहनी के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

89. मरवाही क्षेत्र के भवन विहीन कन्या आश्रम भस्कुरा के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

90. मरवाही क्षेत्र के दर्री–गुम्मा मार्ग पर सूखे नाले पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

91. मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

92. सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की पेंशन राशि एक हजार रूपया प्रति माह करने का उल्लेख नहीं है।

93. मरवाही विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।

94. किसानों की जमीन का औने–पौने दाम पर विक्रय रोकने का उल्लेख नहीं है।

95. राज्य के उद्योगों में कुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

96. नक्सली समस्या के समाधान की समय सीमा का उल्लेख नहीं है ।

97. गिरौदपुरी एवं सोनाखान के समुचित विकास का उल्लेख नहीं है।

98. नक्सल क्षेत्र में कार्यरत पुलिस एवं सैनिक जवानों तथा अन्य सुरक्षाबलों का एक करोड़ का बीमा करने का उल्लेख नहीं है।

99. धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये किये जाने का उल्लेख नहीं है।

100. दाल, तिलहन,उद्यानिकी फसलों का उत्पादन वृद्धि एवं उनके विक्रय के लिए मण्डियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

101. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सूची के बाध्यता को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

102. बस्तर में कार्यरत जवानों की मच्छरों से सुरक्षा को लेकर योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

103. विभिन्न महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति के माध्यम से कार्यरत प्राध्यापक या अन्य कर्मियों को नियमित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

104. प्रत्येक गांव में कम से कम तीन हेण्डपम्प एवं सबमर्सिबल पम्प स्थापित कराये जाकर पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

105. पुस्तकालयों की गांव–गांव में स्थापना एवं पुस्तकालायों में अच्छी–अच्छी किताबों हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

106. उच्च शिक्षित बेरोजगार युवकों को कम से कम 10 लाख रूप्ये तक का ऋण शासन को अपनी गांरटी पर दिलाये जाने जिससे वे अपना व्यवसाय कर सके का उल्लेख नहीं है।

107. उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

108. वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।

109. वृक्षारोपण के दौरान लगाये जा रहे पौधों को पेड़ बनते तक जीवित रखने के लिए ठोस उपाय बनाने का उल्लेख नहीं है।

110. शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

111. स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों को उचित मानदेय देने का उल्लेख नहीं है।

112. प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

113. शिक्षाकर्मियों की स्पष्ट स्थानांतरण नीति अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह बनाने में सरकार असफल रही है ।

114. विश्व विद्यालयों में शोध करने वाले या जो शोध कर चुके हैं, उन्हें शासन अपने स्तर पर कम से कम एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राशि उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख नहीं है ।

115. नई सूचना प्रोद्योगिकी नीति घोषित होने के बावजूद भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश लाने में सरकार असफल रही है।

116. रावघाट रेल परियोजना शीघ्र पूरा करने का उल्लेख नहीं है ।

117. उद्योगों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगपतियों पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

118. जिन गरीबों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गये थे उन गरीबों को पुनः राशन कार्ड दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

119. नई उद्योगनीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छूट दिये जाने का तत्काल नोटिफिकेशन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

120. नई उद्योग नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का शीघ्र नोटिफिकेशन का उल्लेख नहीं है।

121. छोटे खनिज पट्टे स्थानीय निवासियों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

122. बी.आर.टी.एस. रायपुर के छः वर्ष पिछड़ने और आरंभ नहीं होने का उल्लेख नहीं है।

123. जल की उपयोगिता मामले में पहली प्राथमिकता पेयजल, दूसरी प्राथमिकता सिंचाई एवं तीसरी प्राथमिकता उद्योगों का निर्धारण का उल्लेख नहीं है।

124. उद्योगों को दिए जा रहे जल को सिंचाई हेतु उपयोग के लिए पहली प्राथमिकता देने का उल्लेख नहीं है।

125. किसानों को भविष्य में सिंचाई का लाभ दिलाने के लिए शासन द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख नहीं है।

126. पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

127. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में इसी वर्ग के अधीक्षकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

128. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए खनिज की लीज दिलाने का उल्लेख नहीं है।

129. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

130. परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर उगाही करने के मामलों को रोकने का उल्लेख नहीं है।

131. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

132. आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

133. आदिवासी अंचलों के विद्युत विहीन मजरा टोला में बिजली पहुंचाने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है।

134. किसानों से एक–एक दाना खरीदने के संबंध में कोई का उल्लेख नहीं है।

135. मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस उपाय एवं आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल की तरह मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

136. फसलचक्र परिवर्तन करने में एवं किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सरकार असफल रही है ।

137. प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

138. हवाई ईंधन पर वेट छत्तीसगढ़ में 5 प्रतिशत है, जबकि दूसरे राज्यों में 25 प्रतिशत है ।

139. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीमेंट एवं लोहा उद्योगों में चिमनी सिस्टम लगवाने में सरकार असफल रही हैं ।

140. शहरी विकास विभाग ने स्कूलों के संबंध में एवं आबादी के अनुपात में स्कूल बनाने में सरकार असफल रही है ।

141. कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी संग्रहक एवं नहरों के लिए योजना बनाने में सरकार असफल रही है ।

142. शहरों में सड़कों के किनारे आईआरसी स्पेशिकेशन के अनुसार नालियां बनाने एवं बरसात के दिनों में सड़कें खराब होने पर उनकी मरम्मत करने योजना बनाने में सरकार असफल रही है।

143. स्थानीय उद्योगों से दवा खरीदी करने में एवं दवा खरीदी की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है ।

144. रोजगार उपलब्ध कराये जाने में भ्रष्टाचार रोकने में सरकार असफल रही है।
145. कृषि का रकबा विस्तार में सरकार असफल रही है ।
146. प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी की सही आंकणा देने में सरकार असफल रहीं है ।
147. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है ।
148. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत पेण्ड्रा से कोटखर्रा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
149. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रशिक्षित मितानिनों को ए.एन.एम. के पद पर पदस्थ करने का उल्लेख नहीं है।
150. नकली दवाओं के निर्माता एवं सप्लायर्स पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
151. वायु, जल,मृदा पर्यावरण संरक्षण के ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है।
152. लोक निर्माण विभाग के भवनों में दरारें, छत टपक रहीं हैं गुणवत्ता सुधारने में सरकार असफल रही हैं ।
153. शासकीय सहायता प्राप्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को विक्रय एवं मार्केटिंग हेतु शासन द्वारा ठोस उपाय किए जाने का उल्लेख नहीं है।
154. प्रदेश में धान के भण्डारण का समुचित उपाय का उल्लेख नहीं है।
155. सब्जी एवं फसल उत्पादक किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।
156. लो.नि.विभाग की सड़कों की गुणवत्ता सुधारने में सरकार असफल रहीं हैं।
157. सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के रख–रखाव करने में सरकार असफल रही हैं।
158. मरवाही क्षेत्रांर्गत बस्तीबगरा में भवन विहीन कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
159. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम कोडगार के कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
160. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम मुरमुर के भवन विहीन कन्या छात्रावास के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
161. मरवाही क्षेत्रांर्गत करसींवा के हाईस्कूल भवन के निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
162. प्रदेश में ए.सी.बी. के छापों में पकड़े जा रहे भ्रष्टाचारियों को जल्द सजा दिलाने का उल्लेख नहीं है।

163. शहरी क्षेत्रों में भूमाफियों पर शिकंजा कसने का उल्लेख नहीं है।

164. गौरेला विकासखण्ड के खोडरी में अरपा नदी पर स्टाप डेम बनाने का उल्लेख नहीं है।

165. स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु किसी ठोस कारगार योजना का उल्लेख नहीं है।

166. नया रायपुर में मकान बनाने हेतु प्लाट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने में सरकार असफल रही है।

167. स्वास्थ विभाग अंतर्गत मितानिनों को नियमित कर्मचारी बनाने का उल्लेख नहीं है।

168. किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है साथ ही कनेक्शन के नाम पर शुल्क वसूली रोकने में सरकार असफल रही हैं।

169. प्रदेश में एलीफेन्ट कॉरीडोर बनाने का उल्लेख नहीं है।

170. पेण्ड्रा नगर पंचायत के बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

171. प्रधानमंत्री आवास में कार्य कर रहे मरवाही, पेण्ड्रा गौरेला ब्लाक के मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी समय पर दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

172. छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

173. छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

174. ग्राम पंचायतों के सचिवों को सातवां वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।

175. शिक्षाकर्मियों को सातवां वेतनमान एवं शिक्षा विभाग में संविलियन का उल्लेख नहीं है।

176. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के नियमितिकरण एवं नये वेतनमान का उल्लेख नहीं है।

177. छत्तीसगढ़ के शहरों एवं कस्बों में मच्छरों की समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है।

178. सभी महानगरों में सीवरेज सिस्टम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

179. अधिक आबादी वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षे़त्रों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं है।

180. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नव निर्मित मातृ शिशु अस्पताल सेनेटोरियम पेण्ड्रारोड में डाक्टर एवं स्टाफ की पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

181. जल संसाधन विभाग अंतर्गत घाघरा जलाशय की नहर में पक्के करण का उल्लेख नहीं है।

182. जल संसाधन विभाग अंतर्गत बंटीबेहरा में एनीकट बनाने का उल्लेख नहीं है।

183. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।

184. लो.नि.वि. अंतर्गत बसंतपुर से भाड़ी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

185. पर्यटन एवं संस्कृति विभाग अंतर्गत सोनकुण्ड तीर्थ स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

186. पर्यटन एवं संस्कृति विभाग अंतर्गत सोनकुण्ड तीर्थ स्थल पेण्ड्रा के सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

187. लो.नि.वि. अंतर्गत बसंतपुर–काटीआम मुख्य मार्ग से जमड़ीखुर्द तक सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।

188. वन विभाग अंतर्गत इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा के सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

189. लो.नि.वि. के अंतर्गत पेण्ड्रा–अमरपुर–आमाडांड–बस्तीबगरा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

190. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सिवनी से मरवाही सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

191. लो.नि.वि. के अंतर्गत कोटबर्रा से बंटीबहेरा पेण्ड्रा सड़क में तिपान नदी पर पुल बनाने का उल्लेख नहीं है।

192. लो.नि.वि. अंतर्गत गिरवर से पेण्ड्रा पहुंच मार्ग में तिपान नदी पर पुल बनाने का उल्लेख नहीं है।

193. मरवाही क्षेत्रांर्गत बगरार के कन्या छात्रावास के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

194. मरवाही क्षेत्रांर्गत सेमरदर्री के कन्या छात्रावास का भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

195. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम रूमगा में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

196. मरवाही क्षेत्रांर्गत भर्रीडांड़ में कन्या छात्रावास भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।

197. डेड़ हजार की आबादी वालों गांवो में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु नलजल योजना का उल्लेख नहीं है।

198. भालू प्रभावित क्ष़ेत्र मरवाही में जामवंत योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।

199. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

200. प्रदेश में आउट सोर्सिंग बंद करके स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

201. प्रदेश के उद्योगों में कम से कम 90 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवा को देने का संकल्प का उल्लेख नहीं है।

202. बढती हुई मंहगाई को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

203. प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन देने का उल्लेख नहीं है।

204. मनरेगा की मजदूरी भुगतान में हो रहे विलंब में सुधार लाने का उल्लेख नहीं है।

205. घटते वनों की वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

206. कृषि लागत कम करने के लिए मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

207. लो.नि.वि.अंतर्गत मुख्य मार्ग अमरपुर से जनपद पंचायत कार्यालय पहुंच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

208. लो.नि.वि.अंतर्गत केंवची से कांसबहरा तक कारीडोर सड़क को बनाने का उल्लेख नहीं है।

209. लो.नि.वि. अंतर्गत दुर्गा चौक पेण्ड्रा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।

210. लो.नि.वि. अंतर्गत दानीकुण्डी से सेमरदर्री तक सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।

211. लो.नि.वि. अंतर्गत सेमरदर्री से सकड़ा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

212. तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मरवाही में पालिटेक्निक कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

213. नदी जोड़ो योजना में हसदेव से अरपा नदी को जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

214. हसदेव नदी से मरवाही तक पानी लाने का उल्लेख नहीं है।

215. लो.नि.वि. अंतर्गत चलचली मोड़ मरवाही से चंगेरी तक सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।

216. सूखा प्रभावित क्षेत्र के सभी किसानों को राहत राशि वितरण का उल्लेख नहीं है।

217. उद्यानिकी फसलों में ड्रिप इरीगेशन के मामले में भ्रष्टाचार रोकने में सरकार असफल रही है।

218. धान व गेंहू फसल लेने वाले किसानों को अनुदान देने एवं धान उत्पादन बोनस देने में सरकार असफल रही हैं।

219. छात्रावासों एवं आश्रम छात्रावासों में बलात्कार की घटनाओं को रोकने में सरकार असफल रहीं है।

220. मछली उत्पादन, कृषि ऋण पेयजल व्यवस्था का सही आंकड़े प्रस्तुत करने सरकार असफल रही है।

221. मरवाही ब्लाक अंतर्गत ग्राम साल्हेकोटा उन्नत हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

222. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत मुख्यमार्ग से गिरारी कदम टोला तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

223. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत अमरपुर से लटकोनी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

224. मरवाही, पेण्ड्रा,गौरेला ब्लाक के गांवों में लो वोल्टेज की समस्या के निदान का उल्लेख नहीं है।

225. डी.वी.टी. योजनांर्गत कईऋकई महीनों से पेंशन से वंचित हितग्राहियों को समय से पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।

226. कोडगार में शासकीय महाविद्यालय बनाने का उल्लेख नहीं है।

227. शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कोडगार के नये भवन के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

228. ग्राम बसंतपुर में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

229. मीटर रीडिंग में की जा रही गड़बड़ी में कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

230. पेण्ड्रा के सोनकुण्ड में विद्युत उपकेन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

231. बेलपत में जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड द्वारा बनाये गये एनीकट के निर्माण में अनियमितता की जांच का उल्लेख नहीं है।

232. मरवाही ब्लाक अंतर्गत ग्राम धनपुर को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।

233. मरवाही ब्लाक अंतर्गत पौराणिक एवं पुरातात्विक महत्व के ग्राम धनपुर में पुरातत्व विभाग से शोध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

234. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत मरवाही क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

235. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत बसंतपुर काटिआम मुख्यमार्ग से जमड़ीखुर्द तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

236. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांर्गत पेण्ड्रा से गिरवर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

237. प्रधानमंत्री सड़क योजनांर्गत पीपर डोल से भर्रीडांड़ पहुंचमार्ग में सोननदी पर क्षतिग्रस्त पुल को बनाने का उल्लेख नहीं है।

238. पेण्ड्रा तहसील अंतर्गत ग्राम बसंतपुर के किसानों को सूखा पीड़ित किसानों को वर्ष 2015–16 में मुआवजा राशि वितरण का उल्लेख नहीं है।

239. जल संसाधन विभाग अंतर्गत लक्ष्मण घाट पीथमपुर में स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

240. जल संसाधन विभाग अंतर्गत पेण्ड्रा ब्लाक के ग्राम पनकोटा के बरटोला नाला में स्टापडेम बनाने का उल्लेख नहीं है।

241. लो.नि.वि.अंतर्गत उमरखोई से कोटमीखुर्द तक सड़क निर्माण की राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।

242. लो.नि.वि. अंतर्गत अमरपुर से गिरारी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

243. वन विभाग अंतर्गत लक्ष्मणघाट पीथमपुर में सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

244. पेण्ड्रा–बसंतपुर मुख्यमार्ग से गिरारी तक लो.नि.वि. अंतर्गत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

245. सेतु विभाग अंतर्गत मनौरा से पथर्री(मरवाही) तक पहुंच मार्ग में सोननदी पर पुल निर्माण की राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।

246. लो.नि.वि. अंतर्गत काटीआम से डुगरा पंचायत तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

247. मरवाही ब्लाक अंतर्गत बगड़ी जलाशय के आसपास ग्रामों में पहुंचने के लिए निस्तारी मार्ग का उल्लेख नहीं है।

248. लो.नि.वि.अंतर्गत पेण्ड्रा बाइपास सड़क निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण का उल्लेख नहीं है।

249. पेण्ड्रा ब्लाक अंतर्गत दर्रीपारा पनकोटा एवं बरटोला पनकोटा के नाला में आवागमन हेतु पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

250. सूखा प्रभावित क्षेत्र मरवाही,गौरेला,पेण्ड्रा तहसील अंतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु नये हेण्ड पम्प उत्खनन का उल्लेख नहीं है।

251. मरवाही विधान सभा क्षेत्रांर्गत धोबहर के भवन विहीन कन्या छात्रावास के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

252. मरवाही क्षेत्रांर्गत भवन विहीन गुदुम देवरी कन्या आश्रम भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

253. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम अण्डी में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

254. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम धनौली में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

255. मरवाही क्षेत्रांर्गत ग्राम लालपुर में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

256. शिक्षा की गुणवत्ता का दावा खोखला एनसीईआरटी के मानदण्डों का पालन करने में सरकार असफल रही है।

257. सड़क निर्माण में नियंत्रण करने में सरकार असफल रहीं हैं।

258. लो.नि.वि.अंतर्गत दुबटिया से सिवनी मार्ग में धनपुर धोबहर इत्यादि गांव के किसानों को मुआवजे का उल्लेख नही है।

259. अति सूखा प्रभावित उत्तर मरवाही के ग्राम तेन्दूमूड़ा, कटरा इत्यादि गांवों में टेंकर से पेय जल पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

260. मरवाही गौरेला, पेण्ड्रा ब्लाक के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

261. मरवाही वन मण्डल अंतर्गत खोडरी वन परिक्षेत्र के झोझा जल प्रपात तक सीढ़ी एवं सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

262. खोडरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण धारा जल प्रपात तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

263. शिक्षक पंचायतों को प्रत्येक माह वेतन नहीं दिये जाने पर जिम्मेदारों पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

264. आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 50 लाख रूपये मुआवजा एवं आश्रित को नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।

265. सूखा प्रभावित किसानों का कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

266. सूखा प्रभावित सभी किसानों को फसल बीमा देने का उल्लेख नहीं है।

267. छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सिंचाई पम्प हेतु निःशुल्क विद्युत विस्तार का उल्लेख नहीं है।

268. लो.नि.वि. अंतर्गत सेमरा तिराहा पेण्ड्रा रोड से आर.एम.के.के. सड़क खोडरी तक सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।

269. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मितानिनों को प्रत्येक माह नियमित रूप से मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

270. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मरवाही, पेण्ड्रा एवं गौरेला तथा सेनेटोरियम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

271. पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

272. राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों में सुलभ शौचालयों में अवैध वसूली पर कार्यावाही करने में सरकार असफल रही है।

273. प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर मजदूरी और बोनस देने में सरकार असफल रही है।

274. राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर संपूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ कराने में सरकार असफल रही है।

275. प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने में सरकार असफल रही है।

276. प्रदेश में बुनकरों को जिला स्तर एवं प्रदेशस्तर पर उचित व्यवस्था देने में सरकार असफल रही है।

277. प्रदेश में अवैध उत्खनन में रोक लगाने में सरकार असफल रही है।

278. स्वच्छ भारत अभियान योजना पर सरकार असफल रही है।

279. प्रदेश में मत्स्य पालन प्रमुखतः धीवर समाज को आगे बढ़ाने में सरकार असफल रही है।

280. प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधित आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।

28. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में संचालित शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं में प्रशिक्षण अधीक्षक की नियुक्ति में सी.टी.आई. उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु मंडी स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में नियमित योग शिक्षकों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
4. नवीन आदिम जाति सहकारी समिति खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी के नियमितीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी अंचलों में चिकित्सकों की कमी दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखण्ड अन्तर्गत स्थित सुदुर दूरस्थ ग्रामों को पी.एम.जी.एस.वाय.से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के सभी दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सत् प्रतिशत बैंक खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सत प्रतिशत प्राध्यापकों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के विभिन्न सुदूर दुरस्थ ग्रामीण विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की सत् प्रतिशत नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के सूरजपुर जिले में आवासीय महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में सभी वृहद, महिला, परित्यागता को पेंशन भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में पूर्ण शराबबन्दी का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के सूरजपुर जिले में स्थित कुदरगंढ के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।